महत्वपूर्ण
संख्या-816 /नौ-9-11/115ज/08टीसी

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 5 मई, 2011

विषय : 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन नगरीय स्थानीय निकायों को अवमुक्त **धनराशि के उपयोग के संबंध मे दिशा-निर्देश।**

महोदय,

प्रदेश की स्थानीय नागर निकायों को 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में क्रमशः शासनादेश संख्या-1672/नौ-9-9-2010-115ज/08, दिनांक 22 जुलाई, 2010 द्वारा रू0 137.46 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-199/नौ-9-2011-115ज/08टी0सी0, दिनांक 27 जनवरी, 2011 द्वारा रू0 137.46 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2. निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या- 8/659-सा0/13वां वित्त आयोग द्वि0कि0/2010 -11, दिनांक 20 अप्रैल, 2011 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 09 अनिवार्य सुधार लागू किया गये हैं। उक्त में से एक महत्वपूर्ण सुधार **सर्विस लेबिल बेंचमार्क** है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के नागर निकायों में निम्न 04 सेवा-क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है:

(1) जलापूर्ति
(2) मल-जल व्यवस्था
(3) वर्षा जल की निकासी
(4) ठोस अपशिष्ठ पदार्थों का प्रबन्धन

अधिसूचना संख्या-657/नौ-09-2011-104ज/11 दिनांक 31मार्च 2011 द्वारा उक्त सेवा क्षेत्रों में नियत मानकों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। उक्त के संबंध में निर्धारित मानक निकायों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष व अग्रतर वर्षो में प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

3. आप के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2011 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कतिपय नागर निकायों द्वारा यह पृच्छा की जा रही हैं कि 13वें वित्त आयोग की धनराशि किन-किन मदों में किस सीमा तक व्यय की जायेगी ?

4. उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नागर निकायों को **अवमुक्त धनराशि प्राथमिकता के आधार पर सर्विस लेबिल बेंचमार्क से संबंधित उपरोक्त 04 सेवा-क्षेत्रों जलापूर्ति, मल-जल व्यवस्था, वर्षा जल की निकासी और ठोस अपशिष्ठ पदार्थ के प्रबन्धन के सेवा मानकों को पूरा करने पर व्यय की जाय और यदि धनराशि बचती है तो उसका उपयोग ई-गवर्नेन्स हेतु किया जाये।**

5. अतएव समस्त नागर निकायों को निर्देशित किया जाय कि वह उक्त सेवा मानकों को [illegible] करने हेतु पूरे वर्ष की कार्य योजना तैयार कर लें तथा जो भी कार्य कराये जाने हैं उन कार्यों [illegible] समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि सर्विस लेबल बैंचमार्क सम्बन्धी उपलब्धि [illegible] निर्धारित अवधि में पूरी हो सके।

6. नागर निकायों की क्षेत्रीय मुख्यालय की बैठकों में उक्त के सम्बन्ध में समीक्षा की जायेगी। अतः निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च), उ0प्र0 इलाहाबाद/प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण अनुभाग-8)/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग 1/2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7- वित्त संसाधन (वित्त आयोग)अनुभाग/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
8- विशेष सचिव, वित्त संसाधन अनुभाग (राज्य वित्त प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन ।
9- बजट अधिकारी, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
10- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 ।
11- समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायते, उ0प्र0। (द्वारा जिलाधिकारी)
12- वेबमास्टर, नगर विकास विभाग ।
13- गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,
Ammed 5.5.11.
(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।